

संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा 263, 264 द.प्र.सं. 1973

न्यायालय-विवेक जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसरावद प0नि0

प्रकरण क्रमांक समरी/746/2022 अपराध किये जाने की दिनांक 28.05.2022

अभियोगी/परिवादी का विवरण-म.प्र. शासन द्वारा- आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त कसरावद

अभियुक्त का नाम, पैतृकता और निवास

अभियुक्त रणजीत उम्र- 35 वर्ष, पिता-दशरथ, जाति-कहार,
निवासी- होटल जय जल देव कसरावद, तहसील- कसरावद,
जिला- खरगोन, राज्य- मध्य प्रदेश

परिवादित अपराध का विवरण

आपने दिनांक 28.05.2022 समय 05:00 बजे स्थान ग्राम होटल जय जल देव कसरावद अपने रिहायशी मकान/दुकान/ढाबे, पर मादक द्रव्य 11 पाव देशी प्लेन मदिरा का बिना वैध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन में अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण किया या उसे अपने कब्जे में रखा। इसके द्वारा आपने धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

(विवेक जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

अभियुक्त का अभिवाक् एवं परीक्षण (यदि किया हो)-

क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो?

अपराध स्वीकार की

रणजीत वर्मा

(विवेक जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

-::निर्णय:-

आज दिनांक 19/10/2022 को घोषित।

-::निष्कर्ष:-

अभियुक्त की स्वैच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

-::दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश:-

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, पर विचारोपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय अवसान अवधि तक के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में अभियुक्त को पर 07 दिन का साधारण/कठोर कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा 11 पाव देशी प्लेन शराब के अपील अवधि पश्चात् अन्य आदेश के अभाव में नष्ट की जावे।

कार्यवाही समाप्त होने की दिनांक 19.10.2022

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टंकित

(विवेक जैन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

(विवेक जैन)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद जिला मण्डलेश्वर म.प्र.